भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 529
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी गरीबी उपशमन

529. श्री राजा राम सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1अक्तूबर से पच्चीस शहरों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शहरी गरीबी उपशमन संबंधी एक नई परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने से पूर्व किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रायोगिक परियोजना के संदर्भ में शहरी गरीबी का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने का कारण शहरी रोजगार में वृद्धि, मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): जी, हां। शहरी गरीबी उन्मूलन पर प्रस्तावित नया मिशन एक प्रायोगिक मिशन के रूप में 1 अक्टूबर, 2024 से 25 शहरों में 1 महीने की तैयारी अवधि के साथ 3 महीने के लिए 180 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। प्रस्तावित मिशन में 5 घटक शामिल हैं, अर्थात्, (i) समुदाय आधारित संस्था विकास, (ii) वित्तीय समावेशन और उद्यम विकास, (iii) सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, (iv) अभिसरण, और (v) अभिनव और विशेष परियोजनाएं, जिनका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों, गिग श्रमिकों, केयर श्रमिकों, अपशिष्ट संबंधी कार्य करने वाले श्रमिकों और घरेलू श्रमिकों जैसे 6 कमजोर समूहों पर केंद्रित हस्तक्षेप के द्वारा शहरी गरीब परिवारों की गरीबी का उपशमन करना है। शहरों की सूची अनुलग्नक- । में दी गई है।

(ख): जी हां, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एमओएचयूए ने उपर्युक्त कमजोर समूहों की पहचान करने के लिए कार्य समूह समिति का गठन किया था, जिसके सदस्य सिविल सोसाइटी, राज्य/स्थानीय निकाय, अनुसंधान संगठन, केंद्र सरकार आदि से थे।

प्रमुख सिफारिशें कमजोर व्यावसायिक समूहों पर लक्षित हस्तक्षेपों पर केंद्रित थीं, जैसे कि उनकी संस्थाओं का गठन और सुदृढ़ीकरण, वित्तीय समावेशन जिससे सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालयों और संबंधित विभागों के साथ सहयोग करना।

(ग): प्रायोगिक परियोजना में शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग आदि जैसे संबंधित विभागों से लिए गए आंकड़ों के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के आधार आंकड़ों का भी उपयोग किया गया है।

(घ): प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाकर शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। डीएवाई-एनयूएलएम के तहत संस्थागत लामबंदी के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के दायरे में लाया गया, जिनमें से 90% महिला सदस्य हैं। इसके अलावा, मिशन ने वित्तीय समावेशन और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 39.2 लाख आजीविकाएँ सृजित की हैं।

*****

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 529 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 1

क्रम संख्या	राज्य	शहर
1	असम	गुवाहाटी
2	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
3		विशाखापटनम
4	ओडिशा	भुवनेश्वर
5		पुरी
6		राउरकेला
7	गुजरात	सूरत
8		अहमदाबाद
9		दाहोद
10	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
11		आगरा
12		वाराणसी
13	केरल	तिरुवनंतपुरम
14		कोच्चि
15	मध्य प्रदेश	भोपाल
16		उज्जैन
17		इंदौर
18	तमिलनाडु	चेन्नई
19		तिरुपुर
20	त्रिपुरा	अगरतला
21	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
22		दुर्गापुर
23	हिमाचल प्रदेश	चंबा
24	मिजोरम	आइजोल
25	बिहार	पटना